कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया

आदेश संख्या– 33

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक– 40/BSLSA/PLV/576, दिनांक– 30.03.2022 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया हेतु नये सिरे से 50 पैनल अधिवक्ताओं की सूची को अनुमोदित किया गया है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय, अररिया अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में रिमांड कार्य करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की सूची से रिमांड कार्य करने हेतु अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है, ताकि न्यायालयों में रिमांड कार्य सुचारु रुप से संचालित हो सके। अतः निर्देशानुसार उक्त के आलोक में पैनल अधिवक्ताओं की नई सूची से नीचे वर्णित सूची के अनुसार पैनल अधिवक्तओं को उनके नामों के सामने अंकित विभिन्न न्यायालयों में रिमांड कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए निम्नवत् प्रतिनियुक्त किया जाता है–

क्र0 सं0	अधिवक्ता का नाम	न्यायालय का नाम
1	Smt. Kumari Kamini (5673/95) (6363827623, 8083292466)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया
2	Sri Ashok Kumar Paswan (3452/99) (9162058063, 7667386631)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, अररिया (Children Court, SC/ST Act cases)
		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, अररिया (Vacant)
		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह Special MP/MLA/MLC Court, अररिया (Vacant)
		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, अररिया (Vacant)
		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, अररिया (Vacant)
3	Sri Sohan Lal Thakur (2104/06) (9431269027)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट, अररिया (Vacant)
		Exclusive Special Excise Court-II
4	Ram Narayan Mehta (3138/06) (7541944325, 9546324128)	Exclusive Special Excise Court-I
5	Sri Gopal Prasad (1755/09) (9955018279)	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया
6	Ram Ranjan Singh (695/12) (8409605100)	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, अररिया (Vacant)
		अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय, अररिया
		अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पंचम, अररिया
		अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी षष्ठम्, अररिया (Vacant)
7	Jay Kumar Yadav (1543/01) (9534760807, 9113791410)	अनुमंडल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया
		मो0 मुस्तफा साही, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया (Vacant)
		किशोर न्याय परिषद्, अररिया
8	Sri Pankaj Kumar Mishra (620/2006) (9771326087)	श्री राजेश रंजन, न्या0दण्डा0, प्रथम श्रेणी, अररिया
		श्री अमित वैभव, न्या0दण्डा0, प्रथम श्रेणी, अररिया (Vacant)
		श्रीमती सुप्रिया गोस्वामी, न्या0दण्डा0, प्रथम श्रेणी, अररिया (Vacant)
9	Md. Perwez Alam (909/2010) (7320818926)	श्री आशिफ नवाज, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		मो0 गुलाम रसूल, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		श्री रोहित कुमार वर्मा, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
10	Sri Shubham Kumar (BR/1452/2014) (8210541508)	श्री शैलेन्द्र कुमार, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		श्री विशाल सिंहा, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		श्री पवन कुमार चौधरी, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
11	Menika Kumari (912/12) (7050039319)	श्री ज्ञान प्रकाश, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		श्री नवीन कुमार, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया
		श्री प्रदीप कुमार, न्या0दण्डा0, द्वितीय श्रेणी, अररिया

उपरोक्त अधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि–

1. संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) में Undefended गिरफ्तार बंदियों के रिमांड के समय उपस्थित रहें एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें।

   (i)यह भी सुनिश्चित करेंगें कि गिरफ्तारी के दौरान बंदी अभियुक्त के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट न की गई हो। यदि बंदी अभियुक्त जख्मी है तो उसका चिकित्सक जांच सुनिश्चित करें। रिमांड अधिवक्ता बंदी अभियुक्त एवं उसके परिवार वालों को यह सूचना देंगें कि अभियुक्त को चिकित्सीय जांच का अधिकार प्राप्त है। रिमांड अधिवक्ता बंदी अभियुक्त को यह भी सूचना देंगें कि गिरफ्तारी के प्रत्येक 48 घंटे पश्चात् उसे चिकित्सीय जांच का अधिकार है।

   (ii)यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस द्वारा बंदी अभियुक्त का सही उम्र अंकित किया गया हो।

   (iii)रिमांड अधिवक्ता यह भी सुनिश्चित करेंगें कि बंदी अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस के द्वारा अभियुक्त को शीध्र अतिशीध्र या अधिकतम 24 (चौबिस) घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी के आधार/संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुति की गई है।

   (iv)रिमांड अधिवक्ता बंदी अभियुक्त के गिरफ्तारी ज्ञापान की जांच करेंगें एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि बंदी की गिरफ्तारी साक्षियों के समक्ष की गई है एवं गिरफ्तारी ज्ञापान पर गिरफ्तार करने वाले पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पहचान अंकित है तथा गिरफ्तारी ज्ञापान की एक प्रति बंदी अभियुक्त को हस्तगत की गई हो।

   (v)बंदी के परिवार वालों को गिरफ्तारी की सूचना सुनिश्चित करें।

   (vi)यह भी सुनिश्चित करेंगें कि बंदी अभियुक्त की पहचान वही है जो प्राथमिकी में वांछित है एवं गिरफ्तारी ज्ञापान में उसी बंदी अभियुक्त का नाम सन्निहित है।

   (vii)यदि बंदी अभियुक्त की आयु 18 (अठारह) वर्ष से कम प्रतीत होती है तो बंदी अभियुक्त को पर्यवेक्षण गृह, अररिया में अग्रसारण सुनिश्चित करेंगें।

   (viii)बंदी अभियुक्त के अवयस्क होने की स्थिति में उसके उम्र का प्रमाण एकत्रित करेंगें एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करेंगें।

   (ix) रिमांड अधिवक्ता यह भी सुनिश्चित करेंगें कि गिरफ्तारी के कम में अभियुक्त के पास से जप्त समान की जप्ती सूची तैयार की गई हो एवं जप्ती सूची पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पहचान अंकित हो।जप्ती विधिवत् साक्षियों के समक्ष की गई हो एवं जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को हस्तगत कराई गई हो।

   (x) रिमांड अधिवक्ता यह भी सुनिश्चित करेंगें कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है तथा बंदी एवं उनके परिवारवालों को इस आधार की सूचना देंगें।

   (xi) रिमांड अधिवक्ता बंदी अभियुक्त को यह भी सूचना देंगें कि अभियुक्त को जमानत दाखिल करने का अधिकार है एवं अपना अधिवक्ता अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता के रुप में अधिवक्ता प्रतिनियुक्ति का अधिकार है।

2. यदि बंदी Undefended Arrestee की स्थिति में है तो प्रतिरक्षा (Defence) हेतु पैनल अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया को प्रतिवेदित करेंगें।
3. अधिवक्तागण प्रत्येक माह के रिमांड कार्यों का प्रतिवेदन कार्यालय में दूसरे माह के प्रथम सप्ताह तक आवश्यक रुप से समर्पित करेंगें।
4. यदि कोई अधिवक्ता अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी सूचना पूर्व में ही कार्यालय को दें ताकि न्यायालय में रिमांड के समय बंदियों के विधिक अधिकारों को सुनिश्चित करवाया जा सके।
5. सभी कार्यालय लिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि गिरफ्तार बंदियों को रिमांड हेतु उपस्थित किया जाय तो संबंधित अधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें ताकि Undefended Arrestee को आवश्यक विधिक सहायता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निःशुल्क प्राप्त हो सके। (सभी अधिवक्तओं का मोबाईल नं0 उनके नाम के साथ अंकित है)
6. सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने–अपने निर्धारित न्यायालयों में ही रिमांड का कार्य करेंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए पूर्व आदेश के स्थान पर प्रभावी होगा। कार्यालय सभी संबंधितों को सूचित करें।

31/03/2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया